न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/6451/2005/भरतपुर

1— भरत पुत्र दीपा, मृतक जरिये विधिक वारिसानः—
1/1 घनश्याम पुत्र भरत
1/2 हरिमोहन पुत्र भरत

2— खूबी पुत्र दीपा, मृतक जरिये विधिक वारिसानः—
2/1 विघादेवी पत्नी खूबी
2/2 परमानन्द पुत्री खूबी
2/3 गोपाल पुत्र खूबी
2/4 महेश कुमार पुत्र खूबी
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम नंगलामई तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
2/5 मु0 देवकी पुत्री खूबी पत्नी गिरधरसिंह जाट, निवासी ग्राम घाटरी, तहसील बैर, जिला भरतपुर।
2/6 मु0 मिथलेश पुत्री खूबी पत्नी बीरसिंह जाट, निवासी ग्राम घाटरी, तहसील बैर, जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— गिर्राज पुत्र श्यामा
2— बदले पुत्र श्यामा
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम नंगलामई, तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3— राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोडेण्टस

खण्ड पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री वैभव कृष्ण पारिक, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट।

———

निर्णय

दिनांकः—01.12.2023

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा

अपील सं0 124/2005 में पारित निर्णय दिनांक 26–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलाण्ट ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम नगलामई तहसील नदबई में आराजी खसरा नं0 820 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण ने ग्यारसी पुत्र देवसुख से निस्फ हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया जो स्ट्रेंजर पर्जेसर की श्रेणी में आते है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर गलत तरीके से विवादित आराजी का विभाजन कराने पर जोर दे रहें है। विवादित आराजी का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हुआ है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे विवादित आराजी का विधिवत् विभाजन करवाकर विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक–पृथक अपने हिस्सों में दर्ज कराकर पृथक से लगान कायम करावें।

3– अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजी का विधिवत् रूप से विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करें।

4– प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गए कथनों को अस्वीकार कर वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया।

5– परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–04–2004 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी तत्पश्चात् दिनांक 25–05–2005 को अंतिम डिक्री पारित कर दी।

6— परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25—05—2005 से व्यथित होकर वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश की जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26—12—2005 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी।

7— अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—12—2005 से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष यह अपील पेश की है।

8— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गई।

9— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि सहायक कलक्टर द्वारा तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त करते हुए प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात बनाने का आदेश दिया। इस कारण तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर कुरेजात बनाने चाहिए किन्तु तहसीलदार ने अपने अधिकार पटवारी को हस्तांतरित कर उसके द्वारा कुरेजात बनाने की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सहायक कलक्टर को प्रेषित कर दी जो कि स्वीकार योग्य नहीं है तथा उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार को कुरेजात बनाने का अधिकार न्यायालय ने दिया था इस प्रकार तहसीलदार एक डेलीगेटेड पावर्स को पुनः पटवारी या गिरदावर हल्का को डेलीगेट नहीं कर सकता था इस कारण तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही पटवारी व गिरदावर हल्का से कुर्रेजात बनाने की कार्यवाही जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर थी काबिल निरस्तनीय है तथा इस कारण न्यायालय को पुनः कुरेजात बनाने के लिए तहसीलदार को अधिकृत करना चाहिए था किन्तु उन्होंने अपीलाण्ट के इस कानूनी एतराज को निरस्त कर निर्णय पारित करने में भूल की

है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि पटवारी हल्का व गिरदावर ने कभी भी मौके पर जाकर कोई कुरेजात कायम नहीं किए तथा समस्त कार्यवाही तहसील में बैठकर की तथा यह तथ्य साबित होते हुए की उन्होंने कुरेजात की रिपोर्ट में खसरा संख्या 1003 व 1004 के स्थान पर 1103, 1104 दर्ज कर दिये तथा उनके द्वारा जो फर्द मौका बनाया गया उस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही मौका निरीक्षण करने से पूर्व अपीलाण्ट को तहसीलदार ने नोटिस जारी किया। अधीनस्थ कर्मचारियों ने रेस्पो0 से मिलकर मूल्यवान भूमि जो कि आम रास्ते से लगती हुई है उक्त भूमि रेस्पो0 को दे दी तथा अन्दर की भूमि जिसकी मालियत कम है वह सारी भूमि अपीलाण्ट को दे दी। इस प्रकार उक्त कार्यवाही राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है। रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त लम्बे समय से नहीं रहा कयोंकि रेस्पो0 गिर्राज ने उक्त भूमि को क्रय किया था इस कारण बिना किसी ठोस आधार के उक्त भूमि पर उसका कब्जा मानकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–12–2005 एवं विद्वान सहायक कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–05–2005 को निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2017 आरबीजे पेज 299 (एलबी), 2021 आरबीजे पेज 76, 2019 आरबीजे पेज 320, 2016–17 (सप्ली0) आरआरटी पेज 711, 2019 आरआरडी पेज 677 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

10– इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विभाजन नियमों की पूर्ण पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित की है। पक्षकारों के पुराने विभाजन के अनुसार एक–एक खसरा नम्बर दोनों पक्षकारान को दिया गया है। इसके अलावा सेटलमेण्ट विभाग ने पक्षकारों के कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए अलग–अलग खसरा नम्बर बना दिए थे उसी अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है। विभाजन की अंतिम

डिक्री पारित करने से पूर्व पहले पटवारी हल्का ने इसके बाद भू अभिलेख निरीक्षण व उसके बाद स्वयं तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए थे। उसी अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है। परीक्षण न्यायालय ने विभाजन के नियमों कि पूर्ण रूप से पालना करते हुए निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार कि विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत रूप से अपील अपीलाण्ट खारिज की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25–05–2005 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–12–2005 यथावत रखा जावे।

11– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत 2051–2054 प्रदर्श–पी 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम नगलामई में नया खाता संख्या 175 की खसरा नम्बर 820 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि भरत व खूबी पि0 दीपा सम्भाग 1/2 ग्यारसी पुत्र देवसुख 1/2 के खातेदार दर्ज है जिसपर नामांतकरण संख्या 537 का नोट अंकित है जिसके अनुसार ग्यारसी के बजाए गिर्राज बदले पुत्र श्यामा कौम जाट 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज किए गए। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 820 मि0 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा एवं साबिक खसरा नं0 893 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 894 रकबा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.44 है0, खसरा संख्या 1004 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 1103 रकबा 0.20 है0, खसरा संख्या 1104 रकबा 0.19 है0 कायम किए गए है।

12– प्रतिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल खसरा बंदोबस्त ग्राम नगलामई सम्वत् 2056 प्रदर्श–डी 1 पेश की है। जिसके अनुसार ग्राम

नगलामई की आराजी खसरा नम्बर 820 में रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि भरत व खूबी पि0 दीपा सम्भाग 1/2 ग्यारसी पुत्र देवसुख 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है। नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–डी 2 संलग्न है।

13– वादी की ओर से गवाह बयान भरत पीडब्ल्यू–1, खूबीराम पीडब्ल्यू–2, गुटी पीडब्ल्यू–3 कराए गए है।

14– प्रतिवादीगण की ओर से बयान बदलेसिंह डीडब्ल्यू–1, प्रेमसिंह डीडब्ल्यू–2 कराए गए है।

15– वादीगण/अपीलाण्ट ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया था। जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–04–2004 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी। तत्पश्चात् दिनांक 25–05–2005 के द्वारा अंतिम डिक्री पारित की। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री दिनांक 13–04–2004 को पारित करने के बाद विवादित आराजी के सम्बंध में दिनांक 05–11–2004 को कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई तत्पश्चात् दिनांक 25–09–2004 को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई। इसके बाद एक अन्य कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–03–2005 को परीक्षण न्यायालय को भिजवाई गई। उक्त तीनों कुरेजात रिपार्ट परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न है। परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार नदबई द्वारा प्रेषित कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17–03–2005 को आधार मानते हुए दिनांक 25–05–2005 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17–03–2005 से व्यथित होकर अपीलाण्ट क्रम 02 मृतक खूबीराम ने दिनांक 11–04–2005 को उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर ऐतराज करते हुए परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न है। परीक्षण न्यायालय ने अपने

निर्णय दिनांक 25–05–2005 में अपीलाण्ट क्रम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विस्तृत रूप से हवाला देते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17–03–2005 को विधिसम्मत होना मानते हुए अंतिम डिक्री पारित की है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेखित किया है कि ''**प्रस्तुत प्रकरण में तीन बार कुरा रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रथम पटवारी ने, दूसरी आईएलआर ने व तीसरी तहसीलदार ने पेश की है। तीनों में एक समानता है तथा भू प्रबंध ने जो नए खसरा नम्बर बनाए है उनमें भी दो खेत बनाए है। एक रास्ता के पास, एक अलग जो मौके के अनुसार है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कुरेजात पर खूबी को को मौके पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को कहा तो मना कर दिया। मौके पर कब्जा बाबत् भी खसरा नं0 1003 प्रतिवादी व खसरा नं0 1004 पर वादीगण के कब्जे में होना अंकित किया है तथा उक्त कुरेजात के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित समझतें हुए अंतिम डिक्री पारित की है।**'' इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में किए गए कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हे परीक्षण न्यायालय में कुरेजात रिपोर्ट पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उन्होंने कुरेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव को विधिसम्मत मानते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री को विधिसम्मत माना है। हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझतें है।

16– अपीलार्थी की तरफ से 2017 आरबीजे 2019 एलबी का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया है। जिसमें मण्डल हाजा द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि.....''नियम 18 से 21 की पालना होनी चाहिए व तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाना चाहिए।'' इस प्रकरण में तीसरी रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार की है और मौके पर जाकर तैयार करना

बताया है उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। इस प्रकार राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना हुई है और उसी आधार पर विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किए गए है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है और अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है।

17— परिणामतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—12—2005 एवं परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25—05—2005 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य